इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 400] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 3 सितम्बर 2013—भाद्र 12, शक 1935

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2013

अ.क्र. 61 एफ 1-30-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 292-क, 292-ख और 292-ङ के साथ पठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 339-क, 339-ख और 339-ङ के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 15-क में,—

(क) अंक और शब्द "30 जून 2007" जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर 2012" स्थापित किए जाएं.

(ख) खण्ड (तीन) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(तीन-क) अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने में अल्प आय गृह निर्माण के लिए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 से संलग्न परिशिष्ट ञ में यथाविनिर्दिष्ट समय-समय पर यथासंशोधित विशेष योजना सन्नियमों का अनुसरण किया जाएगा. तथापि, खुली भूमि अनुपलब्ध होने की दशा में इस नियम के खण्ड (छह) के उपबंधों के अनुसार प्रभारों की वसूली की जाएगी.".

(ग) खण्ड (आठ-क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(आठ-क) यदि भूखण्ड या भवन का धारक विकास प्रभारों का भुगतान करने के लिए ऋण लेने हेतु यथास्थिति अपना भूखण्ड या भवन बंधक रखना चाहता है तो वह ऐसा कर सकेगा. नगरपालिका ऐसी कालोनी के कालोनाईजर/

रहवासियों को वित्तीय संस्थाओं से समूह वित्त योजनाओं के अंतर्गत संबंधित भूखण्ड या भवन बंधक रखकर आंतरिक विकास की लागत चुकाने के लिए ऋण प्राप्त करने में सहायता कर सकेगी. यदि कम से कम पचहत्तर प्रतिशत रहवासियों की सहमति प्राप्त हो जाती है तो नगरपालिका ऐसे ऋण की व्यवस्था आरंभ करेगी. आंतरिक विकास की लागत अधिनियम के उपबंधों के अनुसार शेष रहवासियों से नगरपालिक शोध्यों के रूप में वसूल की जाएगी.''.

Noti. 61-F-1-30-2011-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Section 433 read with Sections 292-A, 292-B and 292-E of Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 read with Sections 339-A, 339-B and 339-E of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Nagar Palika (Registration of Colonizer, Terms and Conditions) Rules, 1998, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 15-A,—

(a) for the figures, and word "30th June 2007", wherever they occur, the figures and word "31st December 2012" shall be substituted.

(b) after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely :—

"(iii-a) In regularizing the Unauthorised colonies, the special planning norms as specified in Appendix-j attached to the Madhya Pradesh Bhoomi Vikas Niyam, 2012 as amended from time to time for low income housing shall be followed. However, in case of non-availability of open land the charges shall be recovered in accordance with the provisions of clause (vi) of this rule.".

(c) for clause (viii-a), the following clause shall be substituted, namely :—

"(viii-a) If the plot or house holder wants to mortgage his plot or house, as the case may be, for taking loan to pay the development charges, then he may do so. The municipality may assist the colonizer/residents of such colonies in obtaining loan under group financing schemes from financial institutions by mortgaging the respective land/houses to meet the cost of internal development. The Municipality shall proceed in arranging such loan if consent of atleast seventy five percent residents has been received. The cost of internal development shall be recovered from the remaining residents as municipal dues in accordance with the provisions of the Act.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.